# केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
## नई दिल्ली

**सं.–एल–1/44/2010–केविविआ** **दिनांक : 27 मार्च, 2019**

## अधिसूचना

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) के भाग V के साथ पठित धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये विनियम 13.2.2018 से प्रवृत्त होंगे।

**2. मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधनः**

(1) विनियम 7 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (म) में, तारीख ''31.12.2019'' के स्थान पर, तारीख ''12.2.2018'' रखा जाएगा।

(2) विनियम 7 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (य) में, तारीख ''31.12.2019'' के स्थान पर, तारीख ''12.2.2018'' रखा जाएगा।

(3) मूल विनियम के विनियम 7 के खण्ड(1) में, निम्नलिखित एक नया उपखण्ड (कक) जोड़ा जाएगा:–

''(कक) ऐसी उत्पादन परियोजनाओं की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 25 वर्षों की अवधि के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा संसाधनों पर आधारित उत्पादन को आईएसटीएस नेटवर्क के उपयोग के लिए कोई पारेषण प्रभार और हानियां संदेय नहीं होंगे। यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

(i) इस प्रकार की उत्पादन क्षमता केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रदान की गई है।

(ii) ऐसी उत्पादन क्षमता की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 13.2.2018 से 31.3.2022 तक के बीच घोषित की गई है।

(iii) सभी इकाइयों, जिसमें वितरण कंपनियां भी हैं, के साथ अपनी नवीकरणीय बाध्यताओं के अनुपालन के लिए ऊर्जा क्रय करार (करारों) निष्पादित किए गए हों।''

हस्ता./-

**(सनोज कुमार झा)**

**सचिव**

**टिप्पण:** केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियम, 2010 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 162 द्वारा तारीख 16.6. 2010 को अधिसूचित किए गए तथा निम्नलिखित रूप से संशोधित किए गएः

(क) प्रथम संशोधन विनियम, 2011 तारीख 25.11.2011 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, संख्या 229 में प्रकाशित किए गए।

(ख) द्वितीय संशोधन विनियम, 2012 तारीख 29.3.2012 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 76 में प्रकाशित किए गए।

(ग) तृतीय संशोधन विनियम, 2015 तारीख 7.4.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 118 में प्रकाशित किए गए।

(घ) तृतीय संशोधन विनियम, 2015 तारीख 8.7.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 239 में प्रकाशित किए गए।

(ङ) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2015 तारीख 8.7.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 239 में प्रकाशित किए गए।

(च) पांचवा संशोधन विनियम, 2017 तारीख 14.12.2017 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 12 में प्रकाशित किए गए।